न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/94

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा, जरिये सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, सी0ए0डी0 सर्किल कोटा राज0

– अपीलांट

बनाम

1. धनराज नागर पुत्र मोहन लाल धाकड़, निवासी ग्राम नोटाना
2. रामहेत नागर पुत्र मोहन लाल धाकड़, निवासी ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 17.11.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 99/2017(gcms no. 2017/00200) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में ख०न० 91, 92. 94, 95, 96 कुल किता 5 की रकबा 7.60 है० आराजी स्थित है जो खातेदार भवानीशंकर, अमरलाल, जगदीश, बनवारी, धनराज, रामहेत पिसरान श्री मोहनलाल, गायत्री पुत्री मोहनलाल, कस्तुरी बाई बेवा मोहनलाल हिस्सा 1/3, तथा धनराज व रामहेत हिस्सा 2/3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर केचमेन्ट कार्य किया गया और बाद केचमेन्ट नवीन ख0न0 691 रकबा 2.23 है०, ख.न. 693 रकबा 4.90 हैं० कायम किये गये जो वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण की आराजी ख०न० 693 रकबा 4.90 है०, भूमि पर केचमेन्ट विभाग द्वारा ख०न०

692 रकबा 0.04 है०, कायम कर खेत के बीचों बीच दर्शा दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है०। ख०न० 692 रकबा 0.04 है० का मौके पर कोई वजूद नहीं है। मात्र वादीगण को परेशान करने के ध्येय से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खेत के बीचों बीच ख०न० 692 रकबा 0.04 है०. कायम किया गया है जो ख०न० 692 की रिकार्ड में चालू पड़त सरकार अंकित कर दिया जो दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण को त्रुटिपूर्ण रिकार्ड की जानकारी होते ही हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार सा० को प्रार्थना पत्र दिया जिनके द्वारा मौका रिपोर्ट मांगने के बाद भी दुरूस्ती नहीं की तब वादीगण ने दिनांक 28.12.12 को राजस्थान राज्य को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जो दिनांक 28.12.12 को ही प्राप्त हो गया, नोटिस की मियाद समाप्त हो जाने के बाद भी रिकार्ड में दुरूस्ती नहीं करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अत प्रार्थना है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण के ख०न0 693 रकबा 4.90 है० के बीचों बीच केचमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से कायम किये गये ख०न० 692 रकबा 0.04 है०. को नक्शे में से हटाये जाने की आज्ञा प्रदान कर तदनुसार नक्शा में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा प्रदान करें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रकरण की परिस्थियियों में उचित हो वह भी वादीगण को दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलांट को साक्ष्य का अवसर दिया और ना ही उनकी कोई बहस सुनी गई, और इसलिये निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 की प्रार्थी को कभी जानकारी नहीं हुई। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 03.03.2025 को तहसीलदार लाडपुरा के बताने पर हुई, जिस पर उसी दिन दिनांक 03.03.2025 को ही निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 17.03.2025 को नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब आज अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है जो जानकारी की तिथि दिनांक 03.03.2025 से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय व डिक्री की तिथि 15.07.2024 से जानकारी की तिथि 03.03.2025 तक तथा नकल प्राप्ति में लगा समय उपरोक्त कारण से कन्डोन फरमाते हुये अपील जानकारी की तिथि 03.03.2025 से अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया, अपीलांट की बहस नहीं सुनी गई तथा सरसरी तौर पर कानून के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित करनें में त्रुटि की है। वादी रेस्पोडेन्ट ने केचमेन्ट का हवाला अपने वाद पत्र में दिया है, जबकि केचमेन्ट में भूमि कम की जाती है, उसका उल्लेख वादी द्वारा अपने वाद पत्र में नहीं किया गया है और ना ही केचमेन्ट का फर्द इस्तखलाब ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट उल्लेख होता है कि किस रकबे से कितनी भूमि कम की गई है और इसलिये कमी रकबा जो बताया गया है, वह केचमेन्ट के बाद का है, ना कि सेटलमेंट के बाद का। इसलिये केचमेन्ट के रकबे के सम्बंध में उसी समय आपत्ति आयुक्त केचमेन्ट के यहां की जा सकती है, जिसकी चाराजोई उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहा किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी राजकार्य हेतु आरक्षित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही सी0पी0सी0 के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खाते व कब्जे काश्त की भूमि है। वादग्रस्त आराजी के केचमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 91, 92, 94, 95, 96 कुल किता 5 रकबा 7.60 हैक्टेयर दर्ज

रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि पर केचमेन्ट का कार्य किए जाने के उपरांत नवीन खसरा संख्या 691 रकबा 2.23 हैक्टेयर, खसरा संख्या 693 रकबा 4.90 हैक्टेयर कायम किए गए जो वादीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण की आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 4.90 हैक्टेयर भूमि पर केचमेन्ट विभाग द्वारा खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर कायम करके खेत के बीचों बीच त्रुटिपूर्ण रूप से दर्शाया गया है। खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर का मौके पर कोई वजूद नहीं है। केचमेन्ट विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से विपरीत जाकर खेत के बीचों बीच खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर कायम किया गया है जो खसरा संख्या 692 की रिकॉर्ड में चालू पड़त सरकार दर्ज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः रेस्पोडेन्टगण वादीगण केचमेन्ट द्वारा की गई उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किए जाने तथा त्रुटिपूर्ण रूप से कायम किए गए खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि को नक्शे में से हटाया जाकर तदनुसार नक्शा दुरूस्त किए जाने बाबत वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद को वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार से वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रिपोर्ट तलब की गई है। उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी0पी0सी0 के आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार रहे है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 4.90 हैक्टेयर के बीच स्थित खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर को राजस्व नक्शे से विलोपित किया जाकर तदनुसार नक्शा में दुरूस्ती किये जाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी के केचमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 91, 92, 94, 95, 96 कुल किता 5 रकबा 7.60 हैक्टेयर भूमि के केचमेन्ट के पश्चात नवीन खसरा नम्बरान 691 रकबा 2.23 हैक्टेयर, 693 रकबा 4.9 हैक्टेयर कायम किए गए परन्तु वादीगण की आराजी खसरा संख्या 693 रकबा 4.90 हैक्टेयर भूमि पर केचमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर कायम करके राजस्व नक्शे में खेत के बीचों बीच दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवार मण्डल किशनपुरा तकिया की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2018 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी गत खसरा सख्या 91, 92, 94, 95, 96 कुल किता 5 रकबा 7.60 हैक्टेयर दर्ज होने तथा भू–सुधार कार्य होने के पश्चात वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 690, 691 व 693 किता 3 रकबा 7.40 हैक्टेयर होने का अंकन है तथा इसी रिपोर्ट में खसरा संख्या 693 में 0.04 हैक्टेयर भूमि कम की जाकर खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 सिवायचक में दर्ज किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवार मण्डल किशनपुरा तकिया की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2016 में अंकित बिन्दु संख्या 3 इस प्रकार है– "केचमेंट कार्य से पूर्व खसरा नं. 91 रकबा 91, 92, 94, 95, 96 कुल किता 5 रकबा 7.60 हैक्टेयर भूमि पर बाद केचमेंट 0.47 हैक्टेयर कटौती पश्चात ख. न. 691 रकबा 2.23 हैक्टेयर व खसरा संख्या 693 रकबा 4.90 हैक्टेयर किता 2 रकबा 7.13 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड की गई। केचमेंट कार्य सी.ए.डी. द्वारा किया गया जिसमें खसरा नम्बर 693 रकबा 4.90 के बीच में खसरा नं. 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज की गई है। इस स्थान पर पूर्व से ही माता जी का स्थान बना हुआ है जिस पर ग्रामवासी दर्शनार्थ आते है। केचमेंट पूर्व उक्त स्थान वादीगण के खाते की भूमि में ही

बना हुआ था परन्तु केचमेंट कार्य के दौरान इसे नक्शे में मंदिर दर्शाया गया है एवं रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज किया है।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 के अनुसार वाके ग्राम किशनपुरा तकिया की खाता संख्या 63 की खसरा संख्या 91, 92, 94, 95, 96, 420 कुल किता 6 रकबा 7.75 हैक्टेयर भूमि धनराज रामहेत पुत्र मोहन लाल जाति धाकड़ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 के अनुसार वाके ग्राम किशनपुरा तकिया की खाता संख्या 76 की खसरा संख्या 420, 690, 691, 693 कुल किता 4 रकबा 7.55 हैक्टेयर भूमि धनराज रामहेत पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 के अनुसार ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 1 में दर्ज प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–8 प्रतिलिपि आंशिक मानचित्र ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा की है जिसमें खसरा संख्या 692 की राजस्व नक्शे में तरमीम खसरा संख्या 693 के मध्य होना अंकित है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खसरा सख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि सरकारी सिवायचक भूमि है। वादीगण द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि के रकबे को खसरा संख्या 693 की भूमि में शामिल किए जाने तथ उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त आराजी के गत खसरा संख्या 91, 92, 94, 95, 96 व 420 रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि उनके खाते की गत खसरा सख्या 91, 92, 94, 95, 96 व 420 से बनी होना प्रकट होता हो। वादीगण द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर का कोई मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि के वादीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि होना निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि का मिलान क्षेत्रफल एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत होने के पश्चात साक्ष्य व सनुवाई के आधार पर ही हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि को वादीगण की खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। चूंकि प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें मन्दिर बना हुआ है। प्रश्नगत मन्दिर वादीगण के द्वारा निजी उपयोग में लिया जाता रहा है अथवा सार्वजनिक, इस तथ्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार लाडपुरा से राजस्व कार्मिकों की टीम गठित करवाई जाकर प्रश्नगत मन्दिर के उपयोग उपभोग के सम्बंध में मोके की तथ्यात्मक रिपोर्ट लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि वाद के विचाराधीन रहते हुए मन्दिर के उपयोग उपभोग को लेकर किसी भी पक्षकार अथवा दीगर व्यक्ति के

हक अधिकार प्रभावित नहीं हो। साथ ही प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों के समर्थन में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसगंत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 99/2017(gcms no. 2017/00200) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार लाडपुरा से राजस्व कार्मिकों की टीम गठित करवाई जाकर प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर एवं इस पर बने मन्दिर के उपयोग उपभोग के सम्बंध में मोके की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करें तथा प्रश्नगत खसरा संख्या 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा